भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 612565

126

48 / 0.076

बिकी — 1,20,141/—
मालियत — 21,280/—
देय स्टाम्प — 9,700/

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार	:	कृषि
2. परगना व तहसील	:	मोहन लाल गंज
3. स्थित ग्राम	:	सोनई कजेंहरा
4. सम्पत्ति का विवरण	:	खसरा नं0 48 का 1/3 भाग यानी 0.076 कुल विकीत रकबा 0.076हे0
5. मापन की ईकाई	:	हेक्टेयर।
6. संपत्ति का क्षेत्रफल	:	कुल 0.076 हे0

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक 17-5-07
मूल्य 1000 जनरल स्टाम्प
नाम [illegible]
द्वारा

स० रोकड़िया मुख्य रोकड़िया

120/141 [illegible] 2128
विक्रय [illegible]
जि.मु. [illegible]

2420/140/1102-2454

श्री/श्रीमती राम [illegible]
पेशा [illegible] निवासी [illegible]
ने [illegible] लेख पत्र कार्यालय उपनिबन्धक में
आज दिनांक 17-5-07 [illegible]
प्रस्तुत किया ।

उप निबन्धक [illegible]
17-5-07

निष्पादन लेख पत्र बाद सुनने व समझने मजमून व
प्राप्त धनराशि 1,20,141/- प्रलेखानुसार
उक्त श्री राम [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

INDIA NON JUDICIAL

५००रु. Rs500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

7. सड़क की स्थित : सुल्तानपुर रोड व अमर शहीद पथ से लगभग 200मी0 से अधिक दूरी पर

8. प्रतिफल की धनराशि : 1,20,141/-

9. पेड़ों की सं0 : कोई नहीं है।

10. बोरिंग/नलकूप : बोरिंग/नलकूप नहीं है।

चौहद्दी खसरा नं0 48

पूरब	—	खसरा नं0 86
पश्चिम	—	खसरा नं0 10, 11, 12
उत्तर	—	खसरा नं0 49
दक्षिण	—	खसरा नं0 47

प्रथम पक्ष की संख्या –01

विकेता का विवरण

राम नाथ
पुत्र–बैजू, निवासी–सोनई कजेंहरा
पर0 व तह0– मोहन लाल गंज
जनपद – लखनऊ
व्यवसाय – कृषि

द्वितीय पक्ष की संख्या –01

केता का विवरण

धून
पुत्र – श्री बिहारी
निवासी–ग्राम मिर्जापुर
भिठारी पो0 नौगांव
तह0 व जिला–फतेहपुर

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिन 17-5-07

मूल्य .... [illegible] .... जनरल स्टाम्प

नाम ....

द्वारा ....

स० रोकड़िया — मुख्य रोकड़िया

[illegible handwriting]

17-5-07

[illegible handwriting]

17-5-07

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4591468

विक्रय—पत्र

मनकि विक्रेता राम नाथ कुमार पुत्र श्री बैजू निवासी कजेहरा, पर0 व तह0 – मोहन लाल गंज जिला– लखनऊ (विक्रेता)। हमारी आराजी खसरा नं0 48 का 1/3 भाग यानी कुल रकबा 0.076 हे0 स्थित ग्राम सोनई कजेहरा परगना व तहसील – लाल गंज जनपद लखनऊ का मालिक कामिल व काबिज है ।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 612564

तथा उपरोक्त सत्यापित, पटवार्षिक खतौनी कम सं0 00020 के अनुसार विकेता का नाम संक्रमणीय भूमिधर के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि विकेता की पैत्रक सम्पत्ति है। और विकेता को वरासतन प्राप्त हुई है। विकेता व केता अनुसूचित जाति के हैं । उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों सक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। जो कि समस्त प्रकार के ऋण, भार व विवाद से पाक व साफ है। विकयशुदा भूमि पर कोई पेड़, नहीं तथा नलकूप नही है। विकीत भूमि सडक से 200मी0 से अधिक दूरी पर स्थित है। विकीत भूमि राजमार्ग, लिकंमार्ग, व खण्डजा के किनारे स्थित नहीं है। विकीत भूमि सामान्य ग्राम के अर्न्तगत कृषि योग्य भूमि है। जो कृषि प्रयोग हेतु क्रय की जा रही है। उक्त भूमि हर प्रकार के विवादों, भारों , अजकिस्म, रेहान , बन्धक, इकरार , कुर्की, जमानत, हिबा, आदि से पूर्णतया पाक साफ है। जिसको विकय करने का पूर्ण मालिकाना अधिकार मैं विकेता को प्राप्त है। चूकिं हम लोगों को रूपयों की आवश्यकता है। अतः अपनी रजामन्दी से बिना जोरदबाव नजायज के बजरूरत होशो हवास में उपरोक्त आराजी नम्बरी व पैमाइशी को बकिमती मूल्य रूपयें 1,20,141/– (रू0 एक लाख बीस हजार एक सौ इक्तालिस मात्र)जिसके आधे 60,070.5/– (मात्र साठ हजार सत्तर रूपया पचास पैसा मात्र) होते है। बदस्त धून पुत्र श्री बिहारी निवासी ग्राम – मिर्जापुर भिठारी पो0 नौगांव तह0 व जिला–फतेहपुर को विकय कर दिया है। और कब्जा व दखल मालिकाना आज की तारीख से करा दिया अब हमारा विकीत अराजी से कोई वास्ता सरोकार नहीं रहा केता उक्त भूमि की दाखिल खारिज में अपना नाम करवा लेवे । इसमें मुझको या मेरे वारिसानों को कोई उज्र न है और न कभी भविष्य में होगा । और अगर किसी व्यक्ति की दावेदारी की या उजदारी या हकदारी से विकीत का कुल जुज भाग केता

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 63...

उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल या कब्जा न मिले , मिल्कियत या हकीयत विकेता की करार न पाई जाय या अन्य किसी प्रकार से उपरोक्त भूमि के कागजात विवादित अथवा भाग ग्रसित निकले तो ऐसी तमाम सूरतों में केता उपरोक्त को हक व अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा दिया गया कुल रूपया मय हर्जा–खर्चा व नुकसान सहित मुझसे व मेरे वारिसानों व कायम मुकामान की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवे। विकेता कोई मुकाम उज्र का न होगा। और भूमि आज की तारीख से केता उपरोक्त को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त विकीत भूमि को समस्त सरकारी अभिलेखों में जहां समझे अपने नाम दर्ज करा लेवे विकेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। विकीत भूमि किसी राष्ट्रीय मार्ग ,जनपदीय मार्ग, लिंकमार्ग पर स्थित नही है। विकीत भूमि मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड व अमर शहीद पथ से लगभग 200मी0 से अधिक दूरी पर स्थित है। विकीत भूमि में कोई पेड़, कुआ या इमारत आदि नही है। इस भूमि पर ट्यूबवेल / नलकूप नहीं है। विकीत भूमि ग्राम सोनई कजेहरा पर0 व तह0 मोहन लाल गंज जिला लखनऊ में स्थित है। विकीत भूमि का कुल क्षे0 0.076 हे0 है। जोकि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी नियमित सर्किल रेट से बजारू मूल्य रू0 2,80,000 / रू0– प्रति हे0 की दर से निर्धारित है। जिसके अनुसार विकीत भूमि की कुल बजारू मालियत 21,280 / –रू0 होती है चूकिं विकय मूल्य मालियत से ज्यादा है इसिलिये विकय मूल्य पर नियमानुसार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH B 419885

8 प्रतिशत की दर से मु0 2700/-रुपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। क्रेता व विक्रेता के मध्य पूर्व में कोई इकरार नामा बय पंजीकृत नहीं किया गया है। उक्त विक्रीत भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है। विक्रेता व

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 638422

केता का स्थायी पता उपरोक्तानुसार है। विकीत भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण या उ0प्र0 आवास विकास परिषद की किसी भी योजना में अधिग्रहीत नहीं की गई है। लिहाजा यह बैनामा रूबरू गवाहन खूब सोच समझकर बिना किसी जोर जबरदस्ती व स्वस्थ मस्तिष्क के निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत में काम आवे तथा केता ने भी अपने हस्ताक्षर करके बैनामा का निष्पादन किया।

विवरण भूमि बिकीशुदा

आराजी खसरा नं0 48 का कुल विकीत रकबा 0.076 हे0 स्थित ग्राम सोनई कजेंहरा पर0 व तहसील – मोहन लाल गंज जनपद लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8

तफसील वसूलयाबी जरसमन

5. रूपया 12०141 /– प्राप्त द्वारा चेक संख्या– 558125

दिनांकित 17-05-2007 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज, लखनऊ

द्वारा प्राप्त कर लिया है। अब कोई भी धन राशि विकीत अराजी से सम्बन्धित केता से पाना शेष नहीं है।

नोट – पेज नं0 3 पर गन्दा है। पेज नं0 6 की सतर नं0 1 में मुबलिग के आगे हाथ से लिखा है। व सतर नं0 2 व 4 में गन्दा है। पेज नं0 8 में सतर नं0 1 व 2 मे हाथ से लिखा है।

लखनऊ
दिनांक 17/05/07

दिनांक :-17.05.2007

ह0 विकेता

विकेता की पहचान के लिए
गवाह नं. 1
विनोद कुमार

केता की पहचान के लिए
गवाह नं 2 पंकज पाठक
S/o- हरि शंकर पाठक

ह0 केता

टाईपकर्ता
(मनीष सिहं)
तह0 मोहनलालगंज, लखनऊ

मसविदाकर्ता :
(श्री धीरेन्द्र श्रीवास्तव)
एडवोकेट।

लखनऊ

48

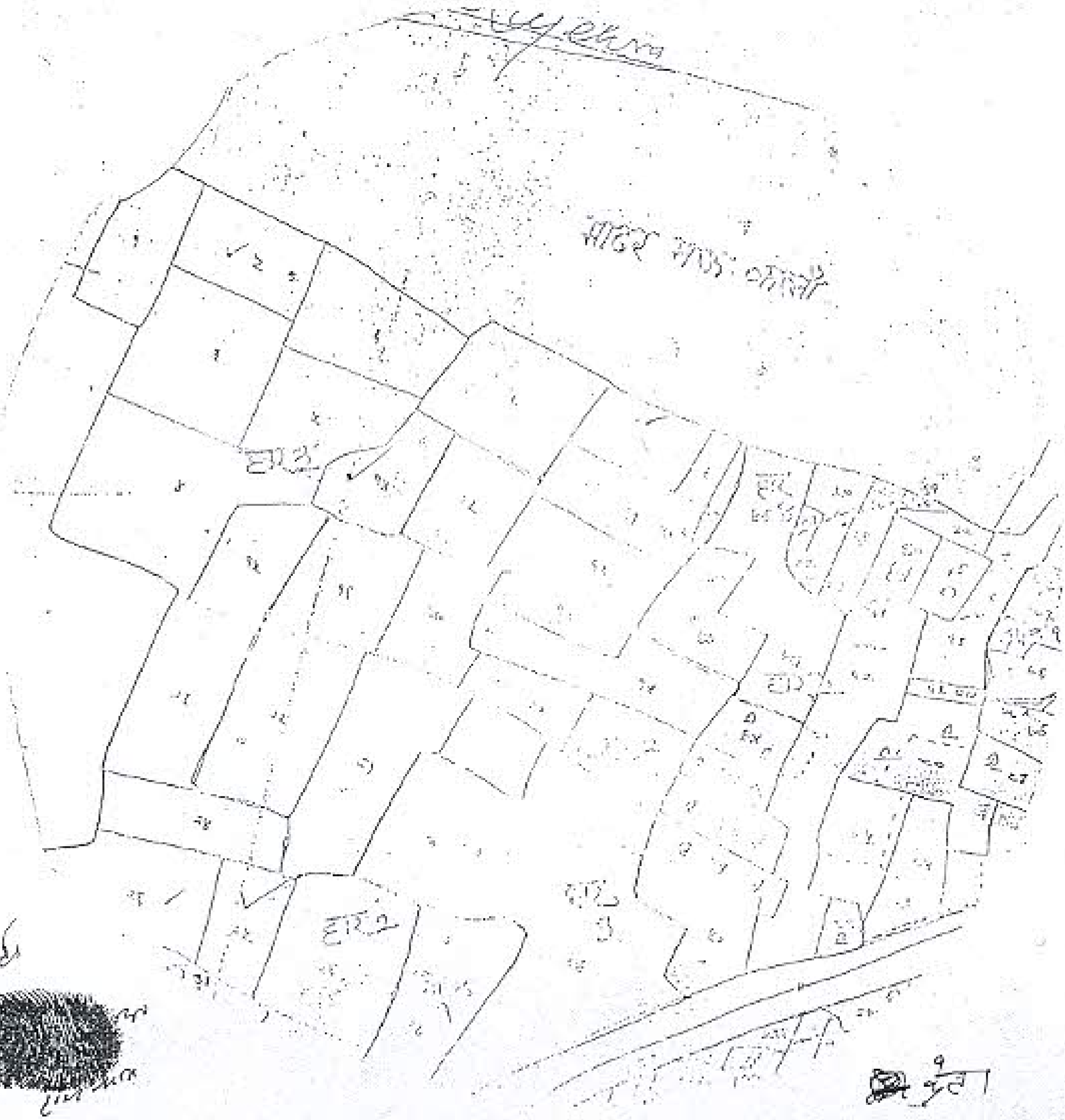

…शन अधिनियम- 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु

फिंगर्स प्रिन्ट्स

क्रेता/विक्रेता का नाम व पता: [illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

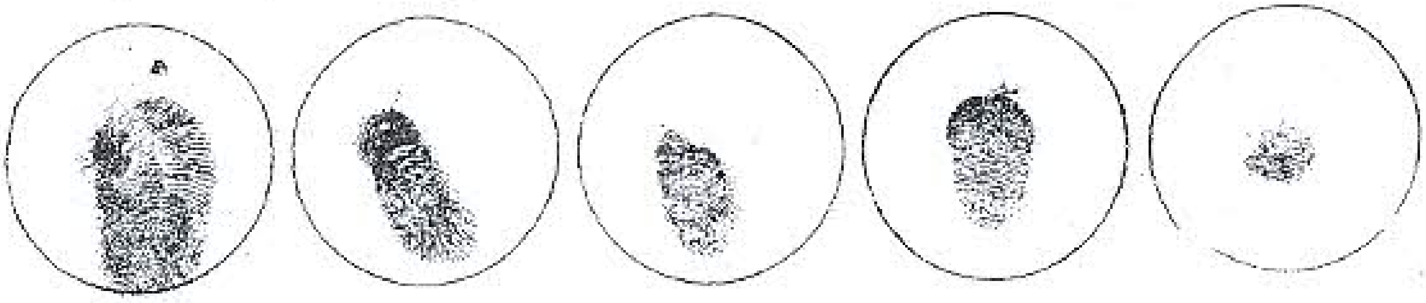

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

क्रेता/विक्रेता के हस्ताक्षर [illegible]

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता: [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

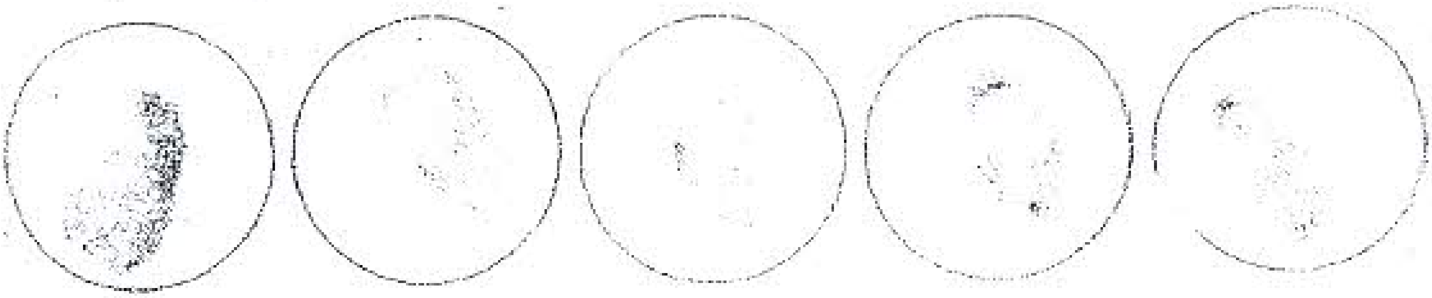

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

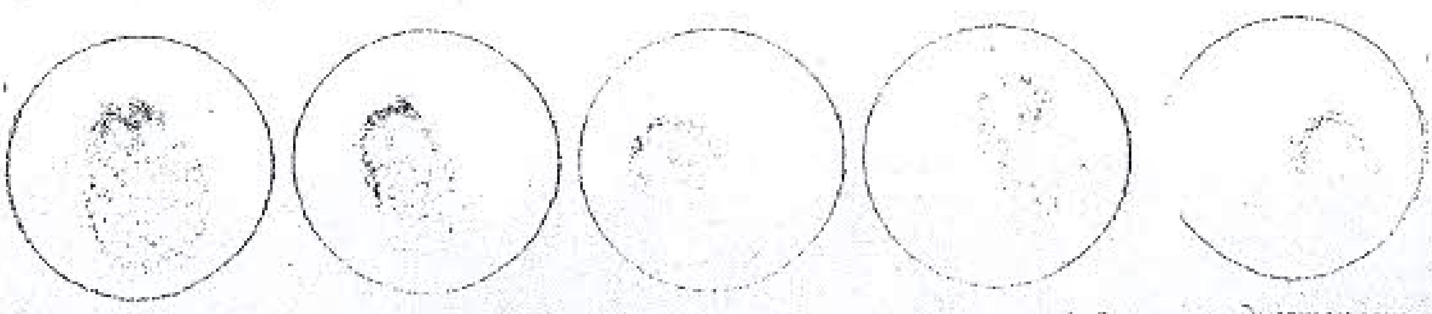

विक्रेता … के हस्ताक्षर [illegible]

[illegible] 0.076 ह0

332